राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : संस्था.–2/ 2022/3113 दिनांक : 04/07/2022

कार्यालय आदेश

प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प.7(3) कार्मिक/क–2/95 पार्ट जयपुर दिनांक 21–06–2022 के द्वारा पदोन्नति में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :–

"कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 18–01–2022 के अधिक्रमण में निर्णय लिया गया है कि राज्य की सभी सेवाओं (राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा) के ऐसे पद जिन पर पदोन्नति हेतु 03 वर्ष या अधिक का अनुभव वांछित है, पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022–2023 के लिए एक वर्ष की शिथिलन प्रदान किया जाता है। इस शिथिलन हेतु परिपत्र दिनांक 07–01–2020 में विहित 50 प्रतिशत पदों की रिक्तता एवं शिथिलन उपरांत निम्न पद पर एक तिहाई कार्मिक कार्यरत रहने की बाध्यता नहीं होगी"

विश्वविद्यालय कर्मचारी चयन भर्ती नियम–1974 जो कि सिण्डीकेट की निश्चय संख्या–2 (ii) दिनांक 04–06 जून, 1973 निश्चय संख्या–3, दिनांक 11–12 जनवरी, 1974 के साथ गठित, के द्वारा अनुमोदित है, में वर्णित नियुक्ति/पदोन्नति से संबंधित नियमों के नियम संख्या–39 में निम्नानुसार प्रावधान वर्णित किया है :–

"Power to relax

Not withstanding anything contained in these rules, in Syndicate may in case of any employee, relax any of the provisions of those rules to relieve him of any undue hardship arising from operation of such provision in the interest of the university."

उपरोक्त क्रम में कुलपति महोदय के आदेशों की अनुपालना में विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से वर्ष 2022–23 में की जाने वाली पदोन्नति हेतु अनुभागाधिकारी, सहायक अनुभागाधिकारी एवं लिपिक ग्रेड–1 के पद पर वांछित अनुभव में 01 वर्ष की शिथिलता प्रदान की जाती है।

कुलपति महोदय के आदेश आगामी सिण्डीकेट में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

(नीलिमा तक्षक) 4/7/22
कुलसचिव

कृ.प.उ.../2

क्रमांक : संस्था.–2/ 2022/3114-18 दिनांक : 04/07/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. वित्त नियन्त्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. उप कुलसचिव, लेखा एवं वित्त, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निजी सचिव–कुलपति/ कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

04/07/22

(अरविन्द कुमार शर्मा)
उप कुलसचिव (संस्था.–2)